रजिस्ट्री सं० डी० एल० 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1716] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 22, 2013/आषाढ़ 31, 1935

No. 1716] NEW DELHI, MONDAY, JULY 22, 2013/ASADHA 31, 1935

सड़क पहिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2013

का.आ. 2228(अ) — यतः केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 452 (अ), तारीख 16–3–2012 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 235 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334) के 7.469 किमी से 66.482 कि.मी (मेरठ से बुलन्दशहर सेक्शन) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" संदर्भित किया गया है) को सौंपा है;

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, 15.07.2011 को प्रस्तुत की गयी बोली हेतु, मैसर्स सीएंडसी वेस्टर्न यू.पी एक्सप्रेसवे लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट संख्या–70 सेक्टर–32, गुड़गाव–122001, भारत में है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "रियायतग्राही" संदर्भित किया गया है), के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 235 पर 7.469 किमी (डिजाइन चैनेज 7.469) से 66.482 (डिजाइन चैनेज 73.512) तक के खण्ड (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त खण्ड" संदर्भित किया गया है) का डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) आधार पर चार लेन के स्तर का बनाने और उक्त खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु 04.01.2012 को करार किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त करार" संदर्भित किया गया है)।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, जिसे दिनांक 5 दिसम्बर, 2008 की सा.का.नि. 838 (अ) द्वारा प्रकाशित किया गया तथा जिसमें 3 दिसम्बर, 2010 की सा.का.नि. 950 (अ), 12 जनवरी, 2011 की सा.का.नि. 15 (अ) द्वारा संशोधन किया गया (जिसे इसमें इसके पश्चात् "नियम" संदर्भित किया गया है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन, पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर ब्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातयात का दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्द्वारा यह अधिसूचित करती है कि सडक खण्ड की निवल लम्बाई 36.618 किमी हेतु, चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए, सारणी 1 के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट दर पर (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आधार दर" संदर्भित किया गया है) उक्त खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर तथा चार बाइपासों के लिए जिनकी कुल लम्बाई 25.903 किमी है। नीचे सारणी 1 में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर आधार दर के डेढ़ गुना के हिसाब से शुल्क उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जायेगा, और उक्त रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा घोषित वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख को और उस तारीख से तथा प्राधिकरण से समापन प्रमाणपत्र अथवा अनंतिम प्रमाणपत्र, जैसी भी स्थिति हो, प्राप्त करने पर या इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन से, जो भी बाद में हो, समाप्ति की तारीख तक, जैसा कि करार में विनिर्दिष्ट किया गया है, शुल्क का संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है;

सारणी–1

वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीन (एचसीएम) अथवा मिट्टी खोदने के उपकरण (इएमइ) अथवा मल्टी एक्सल वाहन (एमएवी) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्ग्रहीत तथा संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजा पर ऐसे टोल प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु, शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लंबाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
हापुड जिले में हृदयपुर/कुराना गांव के पास 48.00 किमी पर	36.618

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाइपास(बाइपासों) के निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास (बाइपासों) की लम्बाई हेतु, आधार दर के डेढ़ गुना से हिसाब से, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपासों का नाम और लम्बाई (किमी में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है ।	
हापुड़ जिले में हृदयपुर/कुराना गांव के पास 48.00 किमी पर	2.700	फफून्दा बाइपास 12.100 किमी से प्रारम्भ होकर 14.800 किमी पर विलय करते हुए
	3.200	खारखुंडा बाइपास 17.700 किमी से प्रारम्भ होकर 20.900 किमी पर विलय करते हुए
	12.428	हापुड़ बाइपास 23.400 किमी से प्रारम्भ होकर 35.456 पर विलय करते हुए और इसके बाद 38.978 किमी से 39.350 किमी तक
	7.575	गुलोथी बाइपास 49.800 किमी से प्रारम्भ होकर 57.375 किमी पर विलय करते हुए

3. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर–वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह टोल प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में ही रहता हो उसके लिए वर्ष 2013–14 के लिए मासिक पास की दर 215.00 रूपए (दो सौ पन्द्रह रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा ।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जायेगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	विधिमान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो–तिहाई	पचास या अधिक	संदाय की तारीख से एक मास

5. जिस जिले में टोल प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो ।

6. जो यांत्रिक वाहन नियमों के अधीन अपने प्रवर्ग के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदे हुए होंगे उन दरों पर शुल्क का संदाय करना होगा जो उनसे अगली उच्च श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होता है और उन्हें तब तक राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने का अधिकार नहीं होगा जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

7. यांत्रिक वाहनों के प्रवर्ग, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों के प्रवर्ग, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी ।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा ।

9. ऊपर सारणी 1 में यथा–उल्लिखित, आधार वर्ष 2007–08 के लिए प्रति कि.मी शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जानेवाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना राजमार्ग परियोजना की लंबाई के पूरे कर लिए भाग के आधार पर, प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। उसे प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के माध्यम से अंग्रजी और स्थानीय भाषा के कम–से–कम एक–एक समाचारपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा और तत्पश्चात् उक्त नियमों के नियम 5 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार उसमें वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा, परन्तु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार किए गये संशोधन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13-14/सीओ/जीसी(मेरठ-बुलन्दशहर]

अलकेश शर्मा, संयुक्त सचिव

IndiaCode

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2013

S.O. 2228 (E).— Whereas by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 452 (E) dated 16.03.2012, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from kilometer 7.469 to kilometer 66.482 (Meerut to Bulandshahar section) of National Highway No. 235 (New National Highway No. 334) in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority");

And whereas, pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an Agreement on 04.01.2012 (hereinafter referred to as said agreement) on with M/s C&C Western UP Expressway Ltd. having its registered office at plot No. -70, Sector-32, Gurgaon-122001, India (hereinafter referred to as the "Concessionaire"), for bids submitted on 15.07.2011 for the development of Meerut to Bulandshahar section from km 7.469 (desing ch. 7.469) to km 66.482 (desing ch. 73.512) on National Highway No. 235 (hereinafter referred to as the "said section") to four lane standards and operation and maintenance of the said section on Design, Build, Finance, Operate and Transfer (DBFOT) basis.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 published vide G.S.R 838(E) dated 5th December, 2008 and amended vide G.S.R 950(E) dated 3rd December, 2010, G.S.R 15(E) dated 12th January, 2011 (hereinafter referred to as the "Rules"), the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said section, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles for the use of the said section at the rate specified in columns (2) of the Table 1 for net road section length of 36.618 km for use of the four and more lane sections (hereinafter referred to as "base rate") and at one and half times the base rate for four numbers of bypasses having an aggregate length of 25.903 km costing on the Type of Vehicles specified in Table 1 below, and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the Date of Commercial Operation (COD) declared by the Authority and on getting the Completion Certificate or the Provisional Certificate, as the case may be, from the Authority or publication of this notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date as specified in the agreement;

Table 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plaza for the distance specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
At km 48.00 near village Hridyapur/ Kurana in Hapur District	36.618

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass(es) at the following Toll Plaza(s) at one and half times of the base rate for the length of bypass(es) specified for such Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Length of bypass (in km) for which additional fee is payable	
At km 48.00 near village Hridyapur/ Kurana in Hapur District	2.700	Faffunda Bypass taking off at km 12.100 and merging at km 14.800
	3.200	Kharkhunda Bypass taking off at km 17.700 and merging at km 20.900
	12.428	Hapur Bypass taking off at km 23.400 and merging at km 35.456 and then from km 38.978 to km 39.350
	7.575	Gulothi Bypass taking off at km 49.800 and merging at km 57.375

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the toll plaza is Rs. 215.00 (Rupees Two Hundred only) for the year 2013-14 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

4. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely.

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty or more single journeys	Fifty or more	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. Mechanical vehicles which is loaded in excess of permissible load specified for its category under the Rules, shall be liable to pay fee at such rates which is applicable for the next higher category of the vehicles and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed portion of the length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provisions of the Concession Agreement provided that no revision shall be effected within a period of six months from the date of the preceding revision of fee.

[F.No. NHAI/13-14/CO/GC(Meerut-Bulandshahar]
ALKESH SHARMA, Jt. Secy.

IndiaCode

3221 GI/13-2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.